भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2773

(जिसका उत्तर सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया)

विशेष दिवाला समाधान ढांचा के तहत कार्यवाही

2773. सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए केवल देनदार ही विशेष दिवाला समाधान ढांचे के तहत कार्यवाही शुरू करने में सक्षम होंगे;

(ख) यदि हां, तो केवल देनदारों को यह कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने के क्या लाभ हैं;

(ग) विशेष रूप से एमएसएमई और विलंबित भुगतान अधिनियमों के मद्देनजर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत एमएसएमई क्षेत्र की बकाया राशि की रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) समाधान के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के सरलीकरण की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि समाधान योजनाओं में एमएसएमई का मूल्यांकन एमएसएमई की अनौपचारिक प्रकृति और उनके अधिकांश लेनदेन पर पर्याप्त विचार किया जाए?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): जी, हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए विशेष दिवाला समाधान ढांचा, जिसे प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (प्री-पैक) कहा जाता है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता/आईबीसी) में यथा उपबंधित, के तहत इस ढांचा के अंतर्गत केवल पात्र कारपोरेट ऋणी (सीडी) ही समाधान के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रावधान का आशय एमएसएमई के व्यवसायों के अनन्य स्वरूप की वजह से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट अपेक्षाओं तथा सरल कारपोरेट संरचनाओं पर विशेष ध्यान देना है, ताकि उनके व्यवसायों की निरंतरता एवं नौकरियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए समाधान कम से कम व्यवधान के साथ किया जा सके। यह ढांचा एक डेटर-इन-कंट्रोल मॉडल है जिसमें एक ऐसे सहमतिजन्य दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है जहां पर लेनदार और निगमित ऋणी के बीच दिवाला समाधान के लिए कार्रवाई के बारे में औपचारिक प्रक्रिया शुरु करने से पूर्व परस्पर समझ बन सके।

जारी...2/-

(ग): इस संहिता के तहत, एमएसएमई, प्रचालन लेनदार (सीडी) के रूप में, चूक की स्थिति में सीडी के विरुद्ध दिवाला कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए पात्र हैं। प्री-पैक ढांचा या कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत समाधान योजना में, प्रचालन लेनदार को इस संहिता की धारा 30(2)(ख) के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि प्रचालन लेनदार दो राशियों- (i) सीडी के परिसमापन की स्थति में भुगतान की जाने वाली राशि; या (ii) वह राशि जिसका भुगतान, यदि समाधान योजना में वितरित की जाने वाली राशि का वितरण संहिता की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता तो भुगतान करना होता, में से अधिक वाली राशि प्राप्त करेगा। साथ ही, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में प्रावधान है कि प्रचालन लेनदार को ऐसे भुगतान वित्तीय लेनदारों की तुलना में प्राथमिकता देते हुए किए जाएंगे।

(घ): प्री-पैक ढांचा एक सरल प्रक्रिया है जो अधिकतर अनौपचारिक है क्योंकि यह हितधारकों को एक सतत सरोकार के रूप में निगमित ऋणी के संकट का समाधान न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ करने हेतु अधिकृत बनाती है। यह एक समयबद्ध प्रक्रिया है जिसे पूरा होने में 120 दिन का समय लगता है। इसका उद्देश्य संकट के व्यवसाय में कम से कम व्यवधानों के साथ तीव्रतर, लागत प्रभावी एवं कारगर समाधान उपलब्ध कराना है।

(ङ): प्री-पैक ढांचा एमएसएमई के व्यवसाय के अनन्य स्वरूप के मद्देनजर तैयार किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुसंगत प्रावधान बनाए गए हैं कि समाधान योजना से निगमित ऋणियों को अधिकतम मूल्य प्राप्त हो। ऋणी के पास व्यवसाय का स्वामित्व रहता है तथा वह इसे एक सतत सरोकार के रूप में संचालित करता है और इस तरह, इसके मूल्य को बनाए रखता है। साथ ही, निगमित ऋणी द्वारा स्वयं ही संहिता की धारा 54ट की अपेक्षाओं के अनुरूप मूलभूत समाधान योजना तैयार की जाती है। यदि लेनदारों की समिति (सीओसी) द्वारा मूलभूत समाधान योजना अनुमोदित नहीं की जाती है तथा इससे प्रचालन लेनदारों के प्रति कारपोरेट ऋणियों का कोई दावा बाधित होता है, तो समाधान पेशेवर से यह अपेक्षित होता है कि वह भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2020 के अनुरूप मूलभूत समाधान योजना से प्रतिस्पर्धा करने के लिए समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित करे। इसके पश्चात, लेनदारों की समिति इन योजनाओं पर विचार करती है और विहित मानदंड के अनुसार तथा विनियमों में प्रदत्त कतिपय शर्तों के अध्यधीन योजना की स्वीकृति पर, अथवा अन्यथा, अपना निर्णय लेती है।

*****